न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री संदीप चौधरी (आर.ए.एस.)

मु.न.– 33 /2024

उमा राम पुत्र मूलाराम उम्र 78 वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम बास धेतरवाल तहसील राजगढ़ जिला चूरू।

– प्रार्थी –

वनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) तारानगर।

– अप्रार्थी –

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवनयू एक्ट व धारा 88 आर.टी.एक्ट.

दिनांक 05.02.2024

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना मय शपथ पत्र में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी के नाम कृषि भूमि रोही मौजा चंगोई तहसील तारानगर के खसरा सं. 742/493 तादादी 2.6555 हेक्ट. हैं। जिसमें प्रार्थी का नाम उमा पुत्र मूला व निवास चंगोई अंकित है। जो गलत है, जबकि प्रार्थी का नाम उमा राम पुत्र मूलाराम निवासी बास धेतरवाल तहसील राजगढ़ सही हैं। प्रार्थी के आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन आधारकार्ड तथा अन्य दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम उमा राम पुत्र मूलाराम निवासी बास धेतरवाल तहसील राजगढ़ है। नाम में भिन्नता होने के कारण प्रार्थी को कृषि ऋण, फसल बेचान आदि में काफी परेशानी का सामना करना पडता है। अब प्रार्थी जमाबन्दी में अपना नाम व निवास दुरूस्त करवाना चाहता है। जमाबन्दी में अपना नाम व निवास दुरूस्त करवाने के लिए प्रार्थी ने तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया था। परन्तु तहसीलदार ने बिना किसी न्यायालय के आदेश के नाम दुरूस्त करने से इंकार कर दिया। इसलिए श्रीमानजी के समक्ष प्रार्थना प्रत्र पेश कर रहा है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कृषि भूमि रोही मौजा चंगोई तहसील तारानगर के खसरा सं. 742/493 तादादी 2.6555 हेक्ट. में प्रार्थी का नाम उमा राम पुत्र मूलाराम निवासी बास धेतरवाल तहसील राजगढ़ किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी द्वारा तहसीलदार तारानगर के समक्ष दियें प्रार्थना पत्र में आई पूर्व में प्राप्त रिपोर्ट पटवारी हल्का मिखाला के अनुसार प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम व निवास दुरूस्त करवाना चाहता है। अब प्रार्थी अपने आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन आधारकार्ड, शपथ पत्र व अन्य दस्तावेजों के आधार पर उमा पुत्र मूला व निवास चंगोई की जगह उमा राम पुत्र मूलाराम निवासी बास धेतरवाल तहसील राजगढ़ करवाना चाहता है। आज दिनांक तक राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम उमा पुत्र मूला व निवास चंगोई ही दर्ज है। अतः प्रार्थी उमा पुत्र मूला व निवास चंगोई की जगह उमा राम पुत्र मूलाराम निवासी बास धेतरवाल तहसील राजगढ़ दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाना उचित होगा।

पत्रावली का अवलोकन किया गया पटवारी हल्का मिखाला की रिपोर्ट प्रार्थी के प्रार्थना पत्र की पृष्टि होती है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि रोही मौजा चंगोई तहसील तारानगर के खसरा सं. 742/493 तादादी 2.6555 हेक्ट. के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रविष्टि उमा पुत्र मूला व निवास चंगोई Delete कर इसके स्थान पर उमा राम पुत्र मूलाराम निवासी बास धेतरवाल तहसील राजगढ़ अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाने का आदेश दिया जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। इस विचार न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय निर्णय है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05.02.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)

(सन्दीप चौधरी आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी

पीठासीन अधिकारी एवं

उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)